**फर्द अहकाम**

**प्रार्थना पत्र संख्याः 51/2022** **बल्ला बनाम कैलाश वगै0**

| क्रम संख्या | दिनांक | आज्ञा विस्तृत रूप से | विशेष विवरण |
|---|---|---|---|
| | 12.02.2024 | पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। बहस प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा सुनी गई। दौराने बहस प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि राजस्व ग्राम मानपुरा मांचेडी पटवार हल्का मानपुरा मांचेडी भू अभि. निरीक्षक क्षेत्र मानपुरा मांचेडी तहसील आमेर जिला जयपुर में स्थित खाता संख्या नया 791 व पुराना 705 के खसरा नम्बर 3232 रकबा 0.9000 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 3239 रकबा 0.01 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 0.9100 हैक्टेयर स्थित है जिसमें प्रार्थी संख्या 1 ता 3 प्रत्येक का हिस्सा 2/15 हिस्सा, एवं प्रार्थी संख्या 4 का 1/5 हिस्सा, प्रार्थी संख्या 5 ता 9 प्रत्येक का हिस्सा 1/50 तथा प्रार्थी सख्या 10 व 11 का प्रत्येक का 1/100 हिस्सा तथा प्रार्थी सख्या 12 लगायत 14 प्रत्येक का हिस्सा 1/75 व प्रार्थी संख्या 15 व 16 का सयुक्त रूप से 1/25 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज व अंकित है तथा अप्रार्थीगण का हिस्सा राजस्व रिकोर्ड अनुसार में दर्ज व अंकित है। प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण उपरोक्त भूमि में पूर्व में किये गये मनबंट के अनुसार प्रार्थीगण पूर्व की तरफ हिस्से व अप्रार्थीगण पश्चिम की तरफ हिस्से पर काबिज होकर उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है और अपने हिस्से अनुसार राजस्व लगान अदा करता चले आ रहे है। प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थीगण को दिनाक 17.07.2022 को मनबंट के अनुसार आपसी सहमति से भूमि विभाजन करने के बाबत कहा तो इनकार कर दिया तथा मौके पर अच्छी अच्छी भूमि पर कब्जा कर निर्माण करने की व विक्रय करने की ऐलानिया धमकी देने पर वाद कारण उत्पन्न हुआ। प्रार्थीगण काबिज खातेदार काश्तकार है और अप्रार्थीगण जबरन भूमि के विशिष्ठ भू–भाग पर निर्माण/विक्रय करने पर आमादा है तथा प्रार्थीगण अपने हिस्से पर कब्जे में चले आ रहे हैं जिसमें अप्रार्थीगण नाजायज रूप से प्रार्थीगण के कब्जे कश्त अवरूद्ध करने की कुचेस्टा कर रहे है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण को मूल वाद के निस्तारण तक जरिए अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे।<br><br>बहस प्रार्थी पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर हमने पाया कि वादी एवं प्रतिवादीगण उक्त वादग्रस्त आराजी भूमि के रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार है, वादी द्वारा प्रस्तुत वाद विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा का है यदि उभयपक्षकारान में से किसी एक खातेदार के द्वारा किसी विशिष्ट भू–भाग का निर्माण या बेचान कर देनें से वादग्रस्त भूमि का स्वरूप परिवर्तन होने की संभावना है जिससे प्रार्थी को अपूर्तनीय क्षति कारित होगी, ऐसी स्थिति में प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में साबित हैं इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।<br><br>अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाकर इस न्यायालय द्वारा जारी अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 27.07.2022 को मूल वाद के निस्तारण तक कन्फर्म किया जाता है पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो। बाद तकसील दाखिल दफ्तर हो।<br><br>Signature Not Verified<br><br>Digitally signed by SHYAMA RATHORE<br>Date: 2024.02.20 14:56:06 IST<br>Reason: SelfAttested<br><br>सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रैक) आमेर<br>जयपुर | |